



सेवा में,

**अपर महासर्वेक्षक:** दक्षिणी क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/एन.आई.जी.एस.टी./पश्चिमी क्षेत्र/जीआरएफ एवं जीडीई डिवीजन/उत्तरी क्षेत्र।

**निदेशक:** केरल एवं लक्षद्वीप विंग जी0डी0/तमिलनाडू, पुदुचैरी एवं अण्मान-निकोबार द्वीप समूह जी0डी0/ असम एवं नागालैण्ड और त्रिपुरा, मणिपुर एवं मीजोरम जी0डी0 (त्रिपुरा, मणिपुर एवं मीजोरम विंग) / असम एवं नागालैण्ड और त्रिपुरा, मणिपुर एवं मीजोरम जी0डी0 /बिहार एवं झारखण्ड (बिहार विंग) जी0डी0/ओडीसा और छत्तीसगढ़ जी0डी0 (छत्तीसगढ़ विंग)/ जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख जी0डी0/ बिहार एवं झारखण्ड जी0डी0 /महाराष्ट्र एवं गोवा जी0डी0/सर्वेक्षण (हवाई) एवं दिल्ली जी0डी0।

**विषय:** अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती।

निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) डिवीजन-1 को अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर पे मैट्रिक्स में लेवल 8 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण / तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम Shri/Md./Smt./Ms.	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	टिप्पणी
1.	Archana S Prem	Kerala & Lakshadweep Wing, Thiruvananthapuram	Kerala & Lakshadweep Wing, Thiruvananthapuram	—
2.	R Paneer Selvam	TNP & ANI GD, Chennai	TNP & ANI GD, Chennai	—
3.	Sudip Dutta	A&N and TMMz GD (TMMz Wing), Silchar	Mehgalaya & Arunachal Pradesh GD, Shillong	—
4.	Gitartha Talukdar	A&N and TMMz GD, Guwahati	A&N and TMMz GD, Guwahati	—
5.	Ajit Bhawal	A&N and TMMz GD, Guwahati	Mehgalaya & Arunachal Pradesh GD, Shillong	—
6.	Umesh Kumar	Bihar & Jharkhand GD (Bihar Wing), Patna	Uttar Pradesh GD, Lucknow	—
7.	Suneel Kumar Shukla	Odisha and Chhattisgarh GD (Chhattisgarh Wing), Raipur	Uttar Pradesh GD, Lucknow	—
8.	Appalapalli Ramesh	NIGST, Hyderabad	Andhra Pradesh & Telengana GD, Hyderabad	—
9.	Shubh Karan	Jammu & Kashmir and Ladakh GD, Jammu	PHC and HP GD, Chandigarh	—
10.	Deepak Balotra	Jammu & Kashmir and Ladakh GD, Jammu	PHC and HP GD, Chandigarh	—

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम Shri/Md./Smt./Ms.	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	टिप्पणी
11.	Mithilesh Gupta	Odisha and Chhattisgarh GD (Chhattisgarh Wing), Raipur	Odisha and Chhattisgarh GD, Bhubaneswar	—
12.	Shakil Alam	Bihar & Jharkhand GD, Ranchi	Odisha and Chhattisgarh GD, Bhubaneswar	—
13.	Narayan Chandra Barman (SC)	Eastern Zone, Kolkata	Eastern Zone, Kolkata	—
14.	Manishkumar Kewaldas Dhoke (SC)	Maharashtra & Goa GD, Pune	Maharashtra & Goa GD, Pune	—
15.	S. Shari (SC)	Kerala & Lakshadweep Wing, Thiruvananthapuram	Kerala & Lakshadweep Wing, Thiruvananthapuram	—
16.	Daman Kumar (SC)	Jammu & Kashmir and Ladakh GD, Jammu	PHC and HP GD, Chandigarh	—
17.	Navindu Ujjania (SC)	Survey (Air) & Delhi GD, New Delhi	Survey (Air) & Delhi GD, New Delhi	पात्रता की तिथि 01-03-2024

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी होगी। इस आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से **1 माह** के भीतर लागू किया जाए। पदोन्नति की स्वीकृति अथवा पदोन्नति की अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक **11-03-2024** तक अवश्य सूचित करें। अधिकारी द्वारा पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने पर उनके प्रमाण-पत्र फार्म 0.115 (लेखा) की दो प्रतियां इस कार्यालय को शीघ्र भेजने की कृपा करें।

3. उपरोक्त कर्मचारियों को यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि यदि वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय जापन संख्या 22011/5/86-स्था0(डी) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों **"no fresh offer of appointment on promotion shall be made in such case for a period of one year from the date of refusal of first promotion or till a next vacancy arises, whichever is later."** के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा।

4. अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति के कास्ट स्टेटस (Caste Status) एवं PwBD Category सम्बन्धी व्यक्ति के प्रमाण-पत्र के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जन जाति/ PwBD Category से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावन्त कर दिया जायेगा।

5. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किये जायें।

6. उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए FR 22 (I)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा तथा यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी को MACP योजना के अन्तर्गत FR 22 (I)(a)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुरूप करें।

7. *These promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) {Pt-II} dated 15-06-2018 and DST's No.SM/02/10/2017 dated 16-05-2019. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No.30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others) and the SLP (C) No.31288/2017 and any other court case in connected matter. Further subject to outcome of OA No.61/519 of 2018 filed by Shri Jasbir Singh Bangari, then Officer Surveyor Vs Union of India & Others.*

8. पदोन्नत अधिकारियों से संलग्न *Undertaking* प्राप्त कर लें तथा अधिकारी की *Service Book* में रिकार्ड हेतु रखें।

संलग्न: यथोपरि।

( प्रशान्त कुमार )

उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक।

**प्रतिलिपि:**

1. **निदेशक:** मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी0डी0/उत्तर प्रदेश जी0डी0/आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी0डी0/पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़ एवं हिमाचल प्रदेश जी0डी0/ओडीसा एवं छत्तीसगढ़ जी0डी0।
2. लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर/हैदराबाद/कोलकाता।
3. प्रभारी अधिकारी, कार्य अध्ययन एकक, महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून।
4. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/जे0सी0एम0 अनुभाग/ए0सी0आर0, महासर्वेक्षक का कार्यालय।
5. महासचिव, सर्वेयर्स एसोसिएशन।
6. वैब एडमिन, महासर्वेक्षक का कार्यालय/इंचार्ज, ई-ऑफिस, महासर्वेक्षक का कार्यालय।